

ग्रामीण सेवा दिवस-2025 (श्रीमाधोपुर)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक / रीडर / 2025 /

दिनांक 2025

उत्तवानी प्रकरण : रमेश बनाम भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या - 396/2025

:- दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त निपटानार्थ लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर में जरिये पत्रांक 04 / भू.अ. / 2025 दिनांक 29/12/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत गिजवाये गये राजस्व ग्राम फुटाला पटवार हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमे खाता संख्या 182,546 में खातेदार मुरलीदेवी पत्नी सुवालाल के स्थान पर मुरलीदेवी पत्नी सुवालाल का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का फुटाला उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को गिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक / रीडर / 2025 /

दिनांक 2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।



(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)



अपने नाम व जांच रिपोर्ट दिनांक प्रसारित है -

श्रीमान जी पं० ह० फुटाला की जमाबंदी संवत् 2074-77 में भूमि खाता सं. 546, 182 में आरिफत की माता का नाम मुरली देवी पत्नी सुवालाल जाति अहीर दर्ज रिपोर्ट है। उर्षी की माता का नाम मुरली देवी पत्नी सुवालाल के स्थान पर मुरली देवी पत्नी सुवालाल जाति अहीर दर्ज करने हेतु आरिफत दिमा है। श्रीमान जी मंडे पर उपस्थितों से सुखलाछ करने पर व उर्षी द्वारा उदत दस्तावेजों तथा शपथ पत्र, पुरुषमाण पत्र आधार काट आदि दस्तावेजों में उर्षी की माता का नाम मुरली देवी पत्नी सुवालाल जाति अहीर दर्ज है उक्त दोनों ध्याते एक ही है इस नाम का अन्म कोई जमाबंदी पं० ह० फुटाला में नहीं है।

[Signature]
19.12.25
पं० फुटाला

उक्त रिपोर्ट पत्नारी व भूअनि के आधार पर तैयार है।

रिपोर्ट अग्रिम शर्मावादी हेतु साफ़ पेश है।
दिनांक - 29-12-25 - LR-04

मुताबिक रिपोर्ट पत्नारी एवं रिपोर्ट भू.अ.नि० के आधार पर शुद्धि की जाने की अभिशोषा की जाती है।

596
20-12-25

[Signature]
तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पत्नारी हलका फुटाला व भू.अ.नि. वृत्त मुण्डरु की जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशोषा रिपोर्ट के आधार पर ग्राम फुटाला के खाता सं. 182, 546 में दर्ज मुरली देवी पत्नी सुवालाल के स्थान पर मुरली देवी पत्नी सुवालाल कुरस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)